न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/611

1. वन विभाग राजस्थान द्वारा जिला वन अधिकारी, बून्दी ।
2. सहायक वन संरक्षक रामगढ वन्य जीव अभ्यारण्य कार्यालय वन विभाग, बून्दी ।
3. फोरेस्टर वन विभाग स्मृति कूंज के पास जेतसागर रोड बून्दी ।
4. केटलगार्ड, नाका दलेतपुरा नांका बून्दी जिला बून्दी ।
5. डी0एफ0ओ0 रामगढ वन्य जीव अभ्यारण्य कार्यालय कोटा द्वारा प्रभारी अधिकारी– क्षेत्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य रामगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. माणक चन्द सोनी आत्मज श्री प्रहलाद सोनी जाति स्वर्णकार निवासी अग्रवालों के नोहरे के पास, बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
2. राज0 द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भैरूपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 715/13 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि माणकचन्द पिता प्रहलाद सोनी के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि लगभग 35–40 वर्ष पूर्व भंवर लाल आत्मज श्री किशन गुर्जर निवासी ग्राम भैरूपुरा आंतरी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी उसने इस भूमि को पडत से फाडकर आबाद किया था उसके उपरान्त उक्त भूमि आवंटित की गई थी । आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 29.04.87 द्वारा भंवर लाल को गैर खातेदार दर्ज किया गया

तथा आवंटन शर्तो की पालना की जाने पर नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 17.09.2008 द्वारा उसे गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये । उक्त भूमि को वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2008 द्वारा क्रय करके कब्जा प्राप्त किया था । विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान खसरा नम्बर 715/13 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा वादी के खाते दर्ज की गई । वादी का उक्त भूमि पर लगभग 33 वर्ष पुराना कब्जा है । प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त भूमि पर हंकाई करवाने से रोक दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी क्रम 01 से 05 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को उसके खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि खसरा नम्बर 715/13 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा ग्राम भैरूपुरा तहसील हिण्डोली से तथा इसमें बने हुए बाउण्ड्री, मकान, कुए एंव बोरिंग से बेदखल नहीं करें तथा वादी को कृषि कार्य करने में फसल बोने, काटने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करें । यदि दौराने वाद उक्त भूमि से वादी को बेदखल कर दे तो इस पर वापस वादी को कब्जा दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.06.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में न तो तनकी कायम की हैं और न ही वादी तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपनी शहादत व स्वत्व प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वादी के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का यह कथन करते हुए पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी 35–40 वर्षों से भंवर लाल आत्मज किशन गुर्जर के कब्जे काश्त में चली आ रही है और भंवर लाल को यह आराजी आवंटित की गई थी । आवंटन के पश्चात् गैर खातेदारी दी गई और आवंटन की शर्तों की पालना करने पर नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 17.09.2008 द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये । वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है । आराजी पर वादी बहैसियत खातेदार निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय में दावा कायमी तनकीयात में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर दावा वादी डिक्री करते हुए दावा वादी स्वीकार किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । जब अपीलान्ट के द्वारा जवाब इंकारी पेश किया था तो तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेने के उपरान्त ही निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण

है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निर्णय पारित किया है । दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, मौखिक साक्ष्य का महत्व नहीं है । लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट के वकील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं उनकी सुनवाई करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे की है जिसके बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली कायमी तनकीयात में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में गुणागुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ । जवाबदावा प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से इंकारी पेश किया गया है था । जवाबदावा इंकारी पेश करने पर तनकीयात कायम कर, साक्ष्य रिकॉर्ड पर लेकर ही सीपीसी की पालना करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए । उभय पक्ष ने विधिक रूप से उपस्थित होकर राजीनामा पेश नहीं किया है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा